न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट एवं अपीलीय भरण–पोषण न्यायाधिकरण अजमेर
अपील संख्या 38/2024

श्रीमती गुलाब देवी उम्र 72 वर्ष पत्नी स्वर्गीय श्री छोटू लाल जी टांक जाति माली निवासी 41 शंकर नगर नया घर गुलाब बाडी कल्याणीपुरा रोड जैसलमेर हाउस के पीछे अजमेर

.....अपीलान्ट

बनाम

श्रीमती पार्वती पत्नी श्री कुनाल पालडिया पुत्री स्वर्गीय श्री छोटूलाल टांक जाति माली निवासी भट्टे के नजदीक गढी मालियान जोन्सगंज अजमेर कार्यरत स्थल इलाका नम्बर 22 ग्रेड–1 एबीआर सेक्शन केरिज वर्कशॉप जोन्सगंज अजमेर

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावको और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 अपील विरूद्ध आक्षेपित आदेश दिनांक 05.07.2024 पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी अजमेर) भरण पोषण अधिकरण अजमेर

आदेश दिनांक :– 10.12.2024

अपीलान्ट द्वार यह अपील अधीनस्थ अधिकरण उपखण्ड अधिकारी अजमेर के आदेश दिनांक 05.07.2024, जिसमें "प्रार्थी (अपीलान्ट) तथा अप्रार्थी (रेस्पोडेन्ट) को अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में की गई सम्पत्ति को निरस्त नहीं करने से असन्तुष्ट होकर इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स स्वयं उपस्थित आये, उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अपीलार्थी ने अपील कथनो को दोहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि अपीलार्थी प्रार्थीया आदेश दिनांक 05.07.2024 जो कि श्रीमती गुलाब देवी बनाम श्री पार्वती पत्नी कुनाल पालड़िया पुत्री छोटूलाल प्रकरण संख्या 06/2024 के प्रकरण में धारा 23 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 में जो पीठासीन अधिकारी भरण पोषण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी अजमेर के द्वारा पारित किया गया और याचिका खारिज की गई तो वह दिया गया निष्कर्ष रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों एवं विधि प्रावधानों के प्रतिकूल है और अपास्त होने योग्य है जिसे कि अब आगे इस प्रकरण में प्रश्नगत आदेश के नाम से निवेदन किया जायेगा। प्रार्थीया जिसकी उम्र 72 साल है और विधवा महिला है अप्रार्थीया प्रार्थीया की पुत्री है अप्रार्थीया भारतीय उत्तर पश्चिम रेलवे में सेवारत है जो जायदाद प्रार्थीया की है जिसमें प्रार्थीया काबिज भी है जो कि नया घर गुलाबाड़ी बालाजी के मंदिर के नजदीक अजमेर स्थित है जो कि प्रार्थीया के स्वामित्व की संपत्ति का भाग जो कि जायदाद भूमि थाला 113.66 वर्गगज अर्थात 1023.0 वर्गफुट है जिसमें 1/4 हिस्सा प्रार्थीया का है जो कि जायदाद का एक ग्राउण्ड फ्लोर का क्षेत्रफल 939.

जिला कलक्टर
अजमेर

0 वर्गफुट फर्स्ट फ्लोर का निर्मित क्षेत्रफल 131.25 वर्गफुट है जिसमें 1/4 हिस्सा प्रार्थीया का है जिसका एएमसी नंबर 368/29 पुराना 247/13 नया अंकित है जिसके पूर्व में श्री निनलेश छीपा का भूखण्ड है पश्चिम में श्री धन्नालाल दग्दी की जायदाद है उत्तर में नया घर रोड है दक्षिण में जायदाद श्री कैलाश जी सैनी की है इस जायदाद में 1/4 हिस्सा प्रार्थीया का है एवं इस 1/4 हिस्से की मालिक प्रार्थीया है उस 1/4 हिस्से को सम्मिलित करते हुये अप्रार्थीया ने कागजात तैयार करवाये जो कि अप्रार्थीया ने यह वचन व कथन प्रार्थीया को दिया कि प्रार्थीया के साथ सदभाविक व्यवहार करेगा पुत्रीधर्म निभायेगी प्रार्थीया को तकलीफ नहीं देगी प्रार्थीया को हैरान परेशान नहीं करेगी प्रार्थीया पढ़ी लिखी नहीं है हस्ताक्षर करना ही जानती है अप्रार्थीया पर विश्वास करके जो कागज बनाया उस पर दस्तख्त कर दिये बिना समझे, जो 1/4 हिस्से की मालिक प्रार्थीया है तो 1/4 हिस्से का भी रिलीज–डीड अप्रार्थीया ने अपने नाम बनवाया और प्रार्थीया को यह वचन व विश्वास दिया कि प्रार्थीया के साथ अच्छा व्यवहार करेंगी और हैरान परेशान नहीं करेगी पुत्रीधर्म निभायेगी और उसका जो कागज अप्रार्थीया ने बनवाया तो उस पर प्रार्थीया ने बिना समझे हस्ताक्षर किये अंगूठा निशानी की जो कि उसकी नकल दिनांक 10.1.2024 को प्रार्थीया को प्राप्त हुई। अप्रार्थीया की नियत में फर्क आ गया अप्रार्थीया ने प्रार्थीया के साथ अभद्र व्यवहार किया गाली गलौच की धमकी दी, जो तथाकथित कागजात रिलीज डीड अप्रार्थीया ने बनाये बनवाये तो जो वचन व विश्वास दिलाया प्रार्थीया को तो उसके कारण प्रार्थीया ने उस वचन व कथन पर विश्वास किया तथा गवाह भी अप्रार्थीया ने करवाये अप्रार्थीया के कथन व वचन पर विश्वास कर जो प्रार्थीया ने हस्ताक्षर किये व अंगूठा किया जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपी प्रार्थीया को दिनांक 10.1.2024 को प्राप्त हुई। अप्रार्थीया के मन बदल गये एवं अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया अप्रार्थीया अलग रहते है प्रार्थीया अलग रहती है प्रार्थीया वृद्ध है शरीर से कमजोर है वह अप्रार्थीया के अत्याचार सहन करती रही व कर रही है दिनांक 31.01.2024 को नोटिस भी अप्रार्थीया को प्रार्थीया ने भिजवाया एवं जो रिलीज–डीड बनवाये तो उन्हे प्रार्थीया ने निरस्त कर दिये, प्रार्थीया संपत्ति में रह रही है काबिज प्रार्थीया है जो नोटिस प्रार्थीया ने भिजवाया अप्रार्थीया को तो उसका जवाब अप्रार्थीया ने श्री अशोक माथुर एडवोकेट से भिजवाया उस जवाब में बिलकुल गलत एवं सारहीन तथ्यों का हवाला दिया व दिलवाया जिसका वापस जवाबुल जवाब प्रार्थीया ने भिजवाया और जवाबुल जवाब में सही व वास्तविक तथ्य प्रार्थीया ने लिखे अप्रार्थीया ने मिलकर शून्य अवैध कागजात बना लिये दिनांक 01.07.2020 की तारीख का रिलीज–डीड अप्रार्थीया ने बना लिया अप्रार्थीया प्रार्थीया का जो कि प्रार्थीया वृद्ध विधवा बुजुर्ग महिला है उसका शून्य ही है जिस हद तक जलील कर सकती है जलील कर रही है जो अपने आप में सबसे बड़ी क्रूरता है एवं अत्याचार की पराकाष्ठा है, जो बिलकुल झूठा आश्वासन व विश्वास देकर रिलीज अप्रार्थी ने बनाया बनवाया उसे निरस्त किया जाना आवश्यक है प्रार्थीया ने निरस्त कर दिया क्योंकि जो अप्रार्थीया ने जो संपत्ति के कागज प्रार्थीया से बनवाये जो कि कागज अप्रार्थीया ने तैयार करवाये व यह वचन व विश्वास दिया कि सेवा करेगी पुत्रीधर्म निभायेगी अभद्र व्यवहार नहीं करेगी बात इससे उल्टी की जो कि अभद्र व्यवहार किया करवाया एवं गाली गलौच की कर रहा है अतः जो कागज बनवाये तो वह निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीया वरिष्ठ नरागरिक है विधवा अनपढ़ महिला है और अप्रार्थीया पुत्री है, अप्रार्थीया ने शून्य अवैध दस्तावेज बनवा लिये जो वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति है जो वरिष्ठ नागरिक से प्राप्त की जाने की कोशिश की जाती है तो वरिष्ठ नागरिक का सम्मान करना उसका मान–सम्मान करना आवश्यक जरूरी है और

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

विशेष बात यह है कि उसकी बेइज्जती नहीं की जाये उसका तिरस्कार नहीं किया जाये। जो शून्य अवैध दस्तावेज बनाये बनवाये तो शून्य अवैध दस्तावेज जो प्रार्थीया को यह कहकर बनाये बनवाये कि प्रार्थीया के साथ सदभाविक व्यवहार करेगी एवं प्रार्थीया के साथ अभद्र व्यवहान नहीं करेगी परन्तु इससे विपरीत प्रार्थीया के साथ पूर्णतया अभ्रद्र व्यवहार किया एवं कर रहे है, यह प्रार्थीया का कर्तव्य है कि अप्रार्थीया प्रार्थीया जो वृद्ध माता है तो इसके साथ सदभाविक व्यवहार रखे इसी वचन व विश्वास पर जो शून्य अवैध कागज अप्रार्थीया ने बनवाये उस पर प्रार्थीया ने बिना पढे बिना समझे अप्रार्थीया के आश्वासन वचन व विश्वास पर एवं अप्रार्थीया लड़की है इस कारण से हस्ताक्षर किये व अंगूठा निशानी की परन्तु इससे बिलकुल विपरीत हुये जो अप्रार्थीया ने जो अभद्र व्यवहार किया गाली गलौच की करवाई तो मजबूर होकर जो कागजात की नकले निकलवानी पड़ी निकलवाई, प्रार्थीया जो कि सीनियर सिटीजन है इसको जिस हद तक जलील किया जा सकता था किया करवाया गया। प्रार्थीया का छोटा बेटा डालचन्द है तो जो डालचन्द को पक्षकार बनाये जाने हेतु कथन किया तो भरण पोषण डालचन्द कर रहा है एवं डालचन्द ही ध्यान रख रहा है जिसकी जानकारी अप्रार्थीया को भी है अप्रार्थीया ने बिलकुल झूठी शिकायत भी करवाई जहां वह नौकरी करता है वहा भी प्रार्थीया ने निवेदन किया कि डालचन्द ही सेवा सुश्रुमा कर रहा है एवं की जो बडा पुत्र देवकरण है उसकी पत्नी है एवं अप्रार्थीया पुत्री है वह तो कतई मात्र भी ध्यान नही रखते है न रखा और उल्टा जिस हद तक जलील कर सकते है करवा सकते है वह किया जो संपत्ति के दस्तावेज देवकरण ने बनाये बनवाये तो वह जिस वचन व विश्वास के आधार पर बने व बनवाये तो वह तनिक मात्र भी नहीं निभाया और अपितु गन्दा व्यवहार करना शुरू कर दिया। डालचन्द को पक्षकार नहीं बनाया डालचन्द पिता के स्थान पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त हुआ है उस तथ्य को छिपाया जबकि यह वर्तमान प्रकरण भरण पोषण राशि से तो सबंधित ही नहीं है भरण पोषण राशि प्रार्थीया ने चाही भी नहीं है भरण पोषण राशि प्रार्थीया ने दिये जाने हेतु निवेदन भी नहीं किया है अपितु जो प्रार्थीया से उसकी पुत्री श्रीमती पार्वती ने शून्य अवैध कागजात बनवा लिये बनाये और जो वचन व विश्वास प्रार्थीया मां का दिया उससे बिलकुल विपरीत कृत्य जो किये करवाये अतः जो शून्य रिलीज डीड है उसके बाबत निरस्तीकरण हेतु निवेदन किया भरण पोषण का तो निवेदन ही नही किया क्योंकि भरण पोषण तो डालचन्द कर रहा है एवं किया डालचन्द को पक्षकार बनाये जाने की आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि डालचन्द की पत्नी का व्यवहार प्रार्थीया के साथ सम्मानजनक था व है मां एवं सासु का दर्जा डालचन्द व उसकी पत्नि के द्वारा दिया गया यह प्रकरण भरण पोषण का नहीं है अपितु जो शून्य दस्तावेज बनाये उसका है। भरण पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर ने यह निष्कर्ष दिया कि संपत्ति प्रार्थीया की नहीं है तो जब यदि प्रार्थीया की संपत्ति ही नहीं है तो फिर प्रार्थीया से शून्य अवैध दस्तावेज बनाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है एवं जब शून्य अवैध कागजात बनवाये तो प्रार्थीया को मालिक माना प्रार्थीया मालिक थी तभी तो बनवाये अतः जो निष्कर्ष भरण पोषण अधिकरण ने दिया वह अपास्त होने योग्य है क्योकि प्रार्थीया के साथ पूर्णतया अभद्र व्यवहार करना शुरू किया। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 05.07.2024 प्रकरण संख्या 06/2024 श्रीमती गुलाब देवी बनाम श्रीमती पार्वती के प्रकरण में माननीय भरण पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा पारित किया गया है वह अपास्त किया जाये, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाये अप्रार्थीया ने जो रिलीज डीड दिनांक 01.07.2020 की तारीख का बनवाया जिस पर प्रार्थी के हस्ताक्षर अंगूठा निशानी की करवाई जो

जिला कलक्टर
अजमेर

कि रिलीज–डीड है तो वह प्रार्थीया के हक व हिस्से तक निरस्त घोषित किया जावें इसकी सूचना उप पंजीयक अजमेर को भेजी जाये न्याय संगत होगा। अपीलांट ने जवाब लिखित बहस प्रस्तुत की गई। अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश दिनांक 15.09.2021 सिविल अपील नम्बर 5717/2021 बउनवान सोनामति देवी व अन्य बनाम महेन्द्र विश्वकर्मा व अन्य, व स्पेशल लीव अपील नं. 3506/2019 एवं माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एण्ड हरियाणा का सीडब्ल्यू नं. 13121/2016 उनवान गुरदीप सिंह व अन्य बनाम उपखण्ड मजिस्ट्रेट का आदेश दिनांक 29.11.2017 व माननीय उच्चतम न्यायालय का सिविल अपील नं. 3822/2020 उनवान एस. वनीता बनाम द डेप्यूटी कमिश्नर व अन्य आदेश दिनांक 15.12.2020 पेश किया गया।

रेस्पोडेन्ट ने जवाब/लिखित बहस प्रस्तुत की गई। रेस्पोडेन्टगण ने अपील कथनो को सिरे से नकारते हुए कथन किया कि अपीलार्थी की ओर प्रथम दृष्टया कानून के प्रावधानो के विपरीत होने के कारण चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रश्नगत जायदाद जो कि नया घर गुलाब बाडी अजमेर अवस्थित है। उक्त आराजीयात गुलाब देवी पत्नि छोटूलाल तथा देवकरण व डालचन्द पुत्रगण छोटूलाल द्वारा विधिवत रूप से रिलीड डीड निष्पादित की थी तथा उक्त डीड अपीलांट द्वारा स्वेच्छा से तथा बिना किसी दबाव एवं बिना किसी शर्त के राजी खुशी उक्त प्रयोजनार्थ स्वयं द्वारा स्टाम्प खरीदकर तथा स्वयं द्वारा दस्तावेज उप पंजीयक कार्यालय के अन्दर स्वयं उपस्थित होकर पंजीयन करवाये गये है। उक्त दस्तावेज में अपीलांट द्वारा स्वयं अंकित किया कि मेरे पुत्र डालचन्द, गुलाब देवी (अपीलांट) व पार्वती देवी के बीच में आपसी सहमति से बिना किसी शर्त के छोटूलाल जी के निधन के पश्चात विरासत में प्राप्त जायदाद का आपसी सहमति से मौखिक बंटवारा होकर तथा उक्त पर क्रियांविती करते हुए उक्त दस्तावेज निष्पादित किये है। इस प्रकार से उक्त समस्त दस्तावेज विधिनुसार सही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का विवाह हो चुका है तथा वर्तमान में रेस्पोडेन्ट अपने पति तथा अपनी पुत्री के साथ अपने ससुराल भट्टे के नजदीक गढी मालियान जौंसगंज अजमेर में राजीखुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलांट के साथ किसी भी प्रकार से अभद्र व्यवहार, गाली गलौच नहीं की गयी है अपितु अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट को विभिन्न प्रकार से गाली गलौच व धमकियां दी जा रही है तथा उक्त रिलीज डीड अपीलांट द्वारा विधिवत रूप से तस्दीक की गयी है जिसमें रेस्पोडेन्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई दबाव या अवांछित कथन नहीं किया गया है तथा अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट जरिये अभिभाषक नोटिस भिजवाया गया था जिसका जवाब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा विधिवत रूप से अपने अभिभाषक श्री अशोक माथुर द्वारा प्रदान किया जा चुका है जिसमें भी रेस्पोडेन्ट द्वारा उन पर लगाये गए असत्य कथनो का खण्डन किया जा चुका है। रेस्पोडेन्ट के भाई देवकरण पुत्र छोटूलाल एवं उनकी पत्नी वर्षा टांक पत्नी देवकरण द्वारा बिना किसी भी प्रकार से कोई भी अवैध एवं गलत दस्तावेज नहीं बनाये गये हैं। ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा कोई अविधिक दस्तावेज मुर्तिब किया गया हैं। अपितु अपीलांट द्वारा उक्त दस्तावेज राजीखुशी तथा सहमति के आधार पर उक्त दस्तावेज निष्पादित किया है जिसमें अपीलांट के छोटे पुत्र डालचन्द पुत्र स्व0 छोटूलाल, डालचन्द पुत्र छोटूलाल के हस्ताक्षर है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट की किसी भी प्रकार से बेईज्जती एवं तिरस्कार नहीं किया गया है तथा उक्त अपील में अंकित कथन कतई घौर मनगढन्त तथ्यों के आधार पर रेस्पोडेन्ट को हैरान एवं

जिला कलक्टर
अजमेर

परेशान करने की गरज से अंकित किये है रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट से दस हजार रूपये अथवा किसी भी प्रकरण की धनराशि की मांग नहीं की गयी है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी माता की सेवा एवं सुश्रुषा की गयी है तथा वर्तमान अपीलांट अन्य असामाजिक तत्व के लोगो के बहकावे में आकर रेस्पोडेन्ट को हैरान एवं परेशान करने के उदेश्य से उक्त मुकदमेंबाजी कर रही है जो कि गलत है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त दस्तावेजो का पूर्णतया अवलोकन करने के पश्चात विधिवत रूप उनके समक्ष लम्बित उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 05.07.2024 को निरस्त किया है जो कि उचित है। अपीलांट द्वारा अपने छोटे पुत्र डालचन्द पुत्र स्व0 छोटूलाल को पक्षकार के रूप में मुर्तिब नहीं कर तथा कथनों को छिपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट के द्वारा जवाब एवं जवाब के साथ संलग्न दस्तावेजों के अनुसार आदेश दिनांक 05.07.2024 पारित किया है जो कि न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिनुसार उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र तथा सम्बंधित रिलीज डीड एवं दान पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजो का अवलोकन किया गया है तथा उक्त दस्तावेजो से यह स्पष्ट है कि छोटूलाल के निधन के पश्चात उनकी सम्पत्ति बाबत उनके परिवार वालो के मध्य आपसी समझाईश कर मौखिक बंटवारे के अनुसार उनकी समस्त सम्पत्ति का उप पंजीयक के समक्ष रजिस्टर्ड बंटवारा कर दिया गया था उसी अनुक्रम में अपीलांट के द्वारा (जो कि छोटूलाल के द्वारा अपने पैसो से क्रय की गयी थी आराजीयात) बाबत रिलीज डीड तस्दीक की गयी है जिस बाबत अपीलांट द्वारा स्टाम्पों का स्वयं उपस्थित होकर क्रय किया गया जिसमें अपीलांट के छोटे पुत्र डालचन्द पुत्र स्व0 छोटूलाल तथा पार्वती पुत्री छोटूलाल के हस्ताक्षर अंकित है। उक्त दस्तावेजो से यह स्पष्ट है कि उक्त सभी दस्तावेज विधिक दस्तावेज है जिनका विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 05.07.2024 में विवेचन करने के पश्चात अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त किया गया है। खरीदी गई सम्पत्ति रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता स्व0 छोटूलाल के पैसो के द्वारा खरीद कर उक्त सम्पत्ति अपीलांट के नाम से खरीदी गयी थी। इस प्रकार से अपीलांट द्वारा उक्त पैरा में तथ्यों को तोड मरोड कर श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा विधिवत रूप से उक्त रजिस्टर्ड दान पत्र निष्पादित करवाया गया है जो कि विधिनुसार सही है तथा अपीलांट अपने छोटे पुत्र डालचन्द पुत्र छोटूलाल एवं अनर्गल लोगो के बहकावे में आकर वरिष्ठ अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण अधिनियम 2007 का गलत व नाजायज फायदा उठाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिनुसार दिनांक 05.07.2024 को निरस्त किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज कर श्रीमान रेस्पोडेन्ट को नोटिस प्रदान कर तथा सभी पक्षकारो को समुचित साक्ष्य व जवाब का अवसर प्रदान कर विस्तृत रूप से दिनांक 05.07.2024 को उक्त आदेश पारित किया है जिसे किसी भी प्रकार से नॉन स्पीकिग ऑर्डर नहीं कहा जा सकता अपितु उक्त आदेश पूर्णतया विस्तृत है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी माता की किसी भी प्रकार से अनदेखी नही की जा रही है। अपीलांट द्वारा उक्त अधिनियम का नाजायज लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र एवं अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील को इसी स्तर पर निरस्त फरमावे। रेस्पोडेन्ट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2022 (1) RLW 849 (Raj) Vinod Sharma Vs. Smt. Shanti Devi & Ors. (Mehta, J.) पेश किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलेक्टर
अजमेर

हमने उपस्थित उभय पक्ष को सुना, अपील तथ्यों एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन मनन किया। अपीलार्थी का मुख्यतः कथन है कि अप्रार्थीया ने जो रिलीज डीड दिनांक 01.07.2020 की तारीख का बनवाया जिस पर प्रार्थी/अपीलांट के हस्ताक्षर अंगूठा निशानी की करवाई जो कि रिलीज–डीड है तो वह प्रार्थीया के हक व हिस्से तक निरस्त घोषित किया जावें। रेस्पोडेन्ट का कथन है कि उक्त आराजीयात गुलाब देवी पत्नि छोटूलाल द्वारा विधिवत रूप से रिलीड डीड निष्पादित की थी तथा उक्त डीड अपीलांट द्वारा स्वेच्छा से तथा बिना किसी दबाव एवं बिना किसी शर्त के राजी खुशी उक्त प्रयोजनार्थ स्वयं द्वारा स्टाम्प खरीदकर तथा स्वयं द्वारा दस्तावेज उप पंजीयक कार्यालय के अन्दर स्वयं उपस्थित होकर पंजीयन करवाये गये है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट के रहने हेतु मकान सम्बन्धी दस्तावेज (फोटोग्राफ) प्रस्तुत की है जिससे यह सिद्ध होता है कि अपीलांट के पास रहने हेतु अपना पूरा मकान है जिसमें अपीलांट वर्तमान में निवास कर रही है, इस प्रकार अपीलांट के पास भरण पोषण एवं रहने हेतु मकान उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार साक्ष्य सुनवाई पश्चात निर्णय पारित किया गया है, उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2024 न्यायोचित प्रतीत होता है। जिसमे किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है। अतः अधीनस्थ अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आक्षेपित आदेश दिनांक 05.07.2024 को यथावत रखे जाने का आदेश दिया जाता है। अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 10.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला मजिस्ट्रेट एवं पीठासीन अधिकारी
अपीलीय भरण पोषण न्यायाधिकरण
अजमेर